

कर्नाटक ने सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

कर्नाटक ने सम्मानजनक मृत्यु के अनुरोधों को स्वीकार करने के लिये अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड स्थापित करने की अनुमति दी।

- [2018](#) में सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय के अनुसार कथिा गया है, जसिमें नषिक्रयि इच्छामृत्यु की कानूनी वैधता को बरकरार रखा गया था।
 - नषिक्रयि इच्छामृत्यु में जीवन-रक्षक उपचारों को रोकना या बंद कर देना शामिल है, जसिसे व्यक्तिको अपनी स्थितिसे स्वाभाविक रूप से मरने दिया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय का 2023 का आदेश [अनुच्छेद 21](#) के तहत सम्मान के साथ मरण के अधिकार की पुष्टि करता है और नषिक्रयि इच्छामृत्यु के मानदंडों को सरल बनाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय दशिया-नरिदेश 2023:
 - **WLST का प्रत्याहरण: प्राथमिक और द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड**, लविगि वलि के आधार पर जीवन-रक्षक चिकित्सा (WLST) का प्रत्याहरण कथिे जाने के अनुरोधों की समीक्षा करेंगे।
 - **लविगि वलि:** लविगि वलि (एडवांस मेडिकल डायरेक्टिवि) से रोगयिों को अपने उपचार संबंधी इच्छाओं को दस्तावेजति करने की सुवधिा मलितती है, जसिसे जीवन के अंतमि नरिणयों में गरमिा सुनशिचति होती है।
 - **अनुमोदन:** प्रक्रयिा के लयिे उपचार करने वाले डॉक्टर, दो मेडिकल बोर्ड (प्रत्येक में तीन चिकित्सक) तथा ज़लिा स्वास्थय अधिकारी द्वारा नामति चिकित्सक से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
 - **सहमति:** मेडिकल बोर्ड के नरिणय के लयिे नकिटतम रशितेदार की सहमति और प्रथम श्रेणी न्यायकि मजसिटरेट (JMFC) से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
 - **उन्नत चिकित्सा नरिदेश (AMD):** AMD के अनुसार यदरिेगी की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो स्वास्थय देखभाल संबंधी नरिणय लेने के लयिे कम-से-कम दो व्यक्तयिों की नयुक्ति करना अनविर्य है।
 - AMD को स्वस्थ मसूतषिक वाले वयस्कों द्वारा नषिपादति कथिा जा सकता है, डजिटिल रूप में या दस्तावेज पर दर्ज कथिा जा सकता है, तथा स्वास्थय रकिॉर्ड में बनाए रखा जा सकता है।

//

IN THE SUPREME COURT

2011: *Aruna Shanbaug v. Union of India* recognised that life-sustaining treatment could legally be withheld/withdrawn even from persons without decision-making capacity.

2018: *Common Cause v. Union of India* recognised the right to die with dignity as a fundamental right under Article 21 of the Constitution



of India, and legalised the use of advance medical directives or 'living wills'.

2023: *Common Cause v. Union of India* simplified the process for making living wills and withholding/withdrawing life-sustaining treatment by removing bureaucratic hurdles.

और पढ़ें: [सर्वोच्च न्यायालय ने नषिक्रयि इच्छामृत्यु के मानदंडों को आसान बनाया](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/karnataka-allows-right-to-die-with-dignity>

